

फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणका वर्ष 2013

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष - दिसम्बर 2013

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी 2. वर्तमान धारित पद कार्यी सहायक जेपी-रक 3. कार्यालय का नाम अधीनकारी (परी. एवं संचार) सतना
 4. वर्तमान वेतन 24990/- + 4400/- 5. भविष्य निधि क्रमांक 22442106 6. कर्मचारी संख्या 91535757

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी /कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम- नरसिंहपुर पो. आ. राप्रवन तह. राप्रपुर बाघेलान जिला - सतना (म 5)	कच्चा प्रकान	1.15 एकड़	5,00,000/-	स्वयं के नाम पर	चैत्रिक	-	-
- " -	-	0.79 "	2,00,000/-	गीता देवी, पत्नी	गंगाबाई निवासी नरसिंहपुर जि. सतना से दिनांक 04-11-93 को क्रम	-	-
- " -	पक्का प्रकान	0.43 "	6,00,000/-	- " -	हीरालाल निवासी ग्राम- नरसिंहपुर जि. सतना से दि. 06-10-99 को क्रम	-	-
- " -	-	1.65 "	4,00,000/-	- " -	हीरालाल निवासी ग्राम- नरसिंहपुर जि. सतना से दि. 21-06-02 को क्रम	-	-
- " -	-	0.26 "	1,00,000/-	- " -	शिवनारायण निवासी ग्राम- नरसिंहपुर जि. सतना से दि. 3-1-07 को क्रम	-	-
ग्राम- पड़रा, तह. डुडुर जिला - सीमा (म 5)	पक्का प्रकान	300 वर्गफीट	5,00,000/-	स्वयं के नाम पर	भुवनेश्वर प्रसाद द्विवेदी, पड़रा, सीमा से दि. 17-2-97 को क्रम.	-	-
ग्राम- नरसिंहपुर पो. आ. राप्रवन तह. राप्रपुर बाघे. जि. सतना	-	2.31 एकड़	10,00,000/-	गीता देवी, पत्नी	जानकी प्रसाद तिवारी बगैरह, कन्नूपुर (म 5) से दिनांक 01-07-11 को क्रम	-	-

हरताक्षर Pipathi
 नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी
 पद कार्यालय सहायक जेपी-रक,
कार्यी. अधीनकारी (परी./संचार) सतना

* जहां लागू न हो, काट दीजिये

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

*** इसमें अल्पकालिक पेट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- मण्डल द्वारा ग्राह्य मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पेट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे।

HINDI